

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रैजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफोन 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/ 3218

दिनांक :- 05/06/18

-कार्यालय आदेश-

विषय:-जोनल डवलमेंट प्लान के कार्य हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सक्षमता की सुनिश्चितता किये जाने के संबंध में।

विषयाधीन विभागीय आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/रिव्यू ऑफ एम.पी. (14)/14/3033 दिनांक 08.05.2018 में निम्न पैरा को विलोपित किया जाता है।

"यदि पूर्व में किसी कन्सलटेंट को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, तो कन्सलटेंट से उक्त सूचनाएँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर कन्सलटेंट के कार्य आदेश की नियमानुसार समीक्षा कर निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे।" आदेश के शेष प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पदम अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/3218-3224 दिनांक :- 05/06/18

प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
2. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
3. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
4. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
5. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अभिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

05/06/2018
अति. मुख्य नगर नियोजक

[Type text]